

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

मग हैल्पलाईन :- 07432-230645,  
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404  
Email: dm-jha-rj@nic.in

दिनांक: 30.10.2018

क्रमांक-न्याय/2018/2090

:- आदेश :-


पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ने पत्र सं० सीबी/विविध/झाला /18/34308-09 दिनांक 22.10.2018 से पुलिस थाना सुनेल के अभियोग सं० 184/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त राजा बाबू उर्फ राजबाबू पिता भगवतिया उर्फ भभूतिया जाति कंजर उम्र 28 साल निवासी किशनपुरिया थाना सदर झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.18 को श्री अजय सिंह हैड कानि० मय जाप्ता गश्त इलाका व अवैध कार्यों की चेकिंग करते हुए सामिया के पास पहुंचा तो मुताबिक सूचना मुखबिर के सांकेतिक सामिया गडारा रोड मोटा कुआ, कच्चे रास्ते के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया। जो पुलिस जाप्ते को देखकर भागने लगा, जिसको जाप्ते की मदद से पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजा बाबू उर्फ राजबाबू पिता भगवतिया उर्फ भभूतिया जाति कंजर उम्र 28 साल निवासी किशनपुरिया थाना सदर झालावाड़ बताया। तलाशी लेने पर एक देशी कटटा मय एक कारतूस लोड के मिला तथा चार कारतूस पेंट की जेब से मिले। जिसके अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध सं० 184/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। उक्त एक देशी कटटा व 5 कारतूसों का आरमोरर द्वारा मेकेनिक मुआयना करवाया गया। आरमोरर ने बताया कि देशी कटटा .315 बोर फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद में आता है तथा 5 कारतूस जिदां अवस्था में हैं, जो एम्युनेशन की परिभाषा में आते हैं। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते हैं।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामसिंह एचसी 113 व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा एवं 5 कारतूसों को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त राजा बाबू उर्फ राजबाबू पिता भगवतिया उर्फ भभूतिया जाति कंजर उम्र 28 साल निवासी किशनपुरिया थाना सदर झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

  
(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़

